

## Create e-Road Permit (Form D-IX) online

1. वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार का वेबसाइट खोले ।
2. अपना user ID तथा password डाल कर Login करें ।
3. स्क्रीन पर प्रदर्शित Suvidha आइकॉन / बटन को क्लिक करें ।
4. कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुले फॉर्मेट में खाली जगहों में राज्य के बाहर से मंगाए जा रहे माल का विवरण भरे ।
5. Submit बटन पर क्लिक करें और स्वतः कम्प्यूटर जनित सुविधा संख्या प्राप्त करें ।
6. सामान के परिवहन / transit के क्रम में विभागीय जांच के मौके पर इसे प्रस्तुत करें ।
7. किसी प्रकार की असुविधा होने पर विभागीय हेल्प लाइन संख्या 1800 3456 102 पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक फ़ोन करें या ईमेल : [vattcs.helpdesk@gmail.com](mailto:vattcs.helpdesk@gmail.com) पर लिखें ।